राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग
कम्प्यूटर स्टोर

क्रमांक प. 7(18) कार्मिक/ख–3/2022 जयपुर, दिनांक : 22.11.2022

निविदा–सूचना

शासन सचिवालय, जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था में उपयोग लिए जा रहे 30 मोटोरोला वायरलैस सेटों पर दो वर्ष की अवधि के लिए रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए दर संविदा किये जाने हेतु मोहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली निविदाऐं दिनांक 01.12.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि दो वर्ष हेतु	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	शासन सचिवालय, जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था में उपयोग लिए जा रहे 30 नग मोटोरोला वायरलैस सेट्स पर दो वर्ष की अवधि के लिए रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए दर संविदा बाबत।	07.50 लाख	15,000.00	200.00+36.00 (GST) अलग–अलग डीडी

निविदा की शर्तें :–

1. बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा शुल्क नकद वित्तीय सलाहकार, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय,जयपूर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 30.11.2022 अपरान्ह 03:00 बजे तक जमा करवा कर प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेबसाइट www.dop.rajasthan.gov.in सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेब साईट www.dipr.rajasthan.gov.in या राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शूल्क एवं जीएसटी राशि निविदादाता द्वारा ड्राफ्ट अलग–अलग शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसके उपर संबधित निविदा का विवरण अंकित हो, पंजीयक शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 01.12.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त तकनीकी निविदाऐं उसी दिन 04.00 बजे उपस्थित निविदाताताओ या उनकें प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **पंजीयक** शासन सचिवालय, जयपुर के कक्ष में खोली जावेगी।
4. निविदा के साथ में जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित के साथ दिनांक 31.03.2022 की जीएसटी रिर्टन की प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण रद्व कर सकेगी।
7. कुटीर एवं लधु उधोग इकाईयों के लिए:–
(1) निविदा प्रपत्र शुल्क निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत कीमत पर दिया जावेगा।
(2)बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयूक्त, उद्योग विभाग राजस्थान जयपूर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघू उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान)नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड आर) विभाग के आदेश क्रमांकःप1(1)वित्त/सा.नि. लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।
8. बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रातिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों,निगमों स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

9. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील है। जो उक्त निविदा पर प्रभावशील होगे।

(प्रेमसिंह वर्मा)
पंजीयक
शासन सचिवालय, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

तकनीकी निविदा प्रपत्र

अन्तिम तिथि : 01.12.2022 — हस्ताक्षर
निविदा प्रपत्र शुल्क :– 200/– — पंजीयक
एवं जीएसटी :– 36/–

1. शासन सचिवालय, जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था में उपयोग लिए जा रहे 30 नग मोटोरोला वायरलैस सेट्स पर दो वर्ष की अवधि के लिए रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की सेवाओं हेतु दर संविदा किये जाने बाबत खुली निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व मोबाईल नम्बर ....
3. किसको सम्बोधित किया गया– पंजीयक, शासन सचिवालय जयपुर
4. संदर्भ क्रमांक : प0 7(18) कार्मिक/ख–3/2022 जयपुर, दिनांक ....
5. निविदा शुल्क – 200/– रूपये एवं 36/– जीएसटी नकद रसीद, डीडी संख्या...... .... एवं दिनांक .... के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. हम पंजीयक शासन सचिवालय,जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या प0 7(18) कार्मिक/ख–3/2022 जयपुर, दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)
7. तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिन पर स्पष्ट रूप से (वायरलेस सेट पर रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की सेवाओं हेतु दर संविदा की निविदा) तकनीकी/वित्तीय निविदा अंकित किया जावे। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द किया जावे जिस पर संबंधित निविदा का नाम अंकित किया जावे।
8. मुख्य/तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्न सामग्री/दस्तावेज रखे जावेः–
    1. तकनीकी निविदा प्रपत्र पूर्ण भरा हुआ हस्ताक्षरित।
    2. एनेक्सर–ए हस्ताक्षरित।
    3. एनेक्सर–बी हस्ताक्षरित।
    4. एनेक्सर–सी हस्ताक्षरित।
    5. एनेक्सर–डी हस्ताक्षरित।
    6. एनेक्सर–ई हस्ताक्षरित।
    7. एनेक्सर–एफ हस्ताक्षरित।
9. निविदा के साथ जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित के साथ दिनांक 31.03.2022 तक जीएसटी रिटर्न एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
10. मुख्य लिफाफे में रखे जाने वाले वित्तीय निविदा के लिफाफे में एनेक्सर–"एफ" के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नही किया जावे एवं केवल दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जावे, कटिंग नहीं करे। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे। सशर्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. एनेक्सर–एफ में मूल दर प्रति नग, जी.एस.टी. प्रति नग एवं कुल राशि प्रति नग को निर्धारित कॉलम में पृथक–पृथक स्पष्टरूप से दर्शाया जावे।
13. वित्तीय निविदा में मूल दर प्रति वायरलैस सेट प्रतिमाह एवं जीएसटी तथा कुल राशि निर्धारित कॉलम में पृथक–पृथक स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
14. <u>तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तेः–</u>
   1. निविदा राशि की 2 प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति के रूप में बैंक ड्राफ्ट शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग के नाम प्रस्तुत करने होगें।
   2. निविदा प्रपत्र शुल्क 200/–रूपये, एवं जीएसटी 36/–रू. नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 200/–एवं 36/–रू. जीएसटी के पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग के नाम प्रस्तुत करने होगें।
   3. निविदा के साथ में दिनांक 31.03.2022 तक जीएसटी रिटर्न की प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित।
   4. जी.एस.टी. पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित।
   5. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
   6. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधिंत सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित किये होने चाहिये।
   7. वायरलैस सैट्स पर रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लाईसेन्स की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
   8. फर्म को उक्त कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के सम्बन्ध में फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 तीनों वर्षों में राजकीय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों में कुल रूपये 05.00 लाख का वायरलैस सेट्स पर रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का अनुभव सम्बन्धी विवरण दिया जाना चाहिये अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की संतोषजनक कार्य की प्रति प्रस्तुत की जावे।
   9. फर्म के वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में कुल बिक्री/टर्नओवर रूपये 07.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित लेखे अथवा सी.ए. का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   10. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा Debare (विवर्जित) तो नहीं किया गया है, का घोषणा पत्र संलग्न करे।
15. तकनीकि दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
16. वायरलैस सेटों पर पूरे जयपुर शहर में रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
17. रेडियो रिपेयर संबंधी पहलुओं, एएमसी एवं अन्य सामान कम्पनी द्वारा देखे जाएंगे। कम्पनी की जिम्मेदारी है कि वे जरूरी सामान उपलब्ध करवाए, रेडियों रिपेयर करवाएं एवं कम से कम समय में हर समय सेवाएं उपलब्ध करवाएं। सेवाएं 2 घण्टे से अधिक समय तक बंद रहने पर प्रो रेटेड कटौती होगी यह कटौती उस समय के लिए होगी जितनी देर सैट उपयोग लायक नहीं रहा। वायरलैस सेटों पर दो घण्टे से अधिक समय के लिए रेडियों ट्रंकिग सुविधा खराब रहने पर 100/–रु. प्रति घण्टा प्रति वायरलैस सेट के हिसाब से कटौती की जावेगी। रेडियो ट्रंकिंग सुविधा एक दिवस से अधिक समय तक खराब रहने पर फर्म को पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

18. अनुमोदित दर संविदा दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। इस अवधि को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–29 व 73 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
19. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
20. निविदाकार को प्रतिदिन 24 घण्टे रेडियो ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
21. रेडिया ट्रंकिंग सुविधा को 24 घण्टे चालू रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
22. रेडियो ट्रंकिंग सुविधा के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
23. भुगतान त्रैमासिक तौर पर क्वार्टर समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर ऑनलाईन किया जावेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें वूसल किया जावेगा।
24. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो (किसी भी प्रकार पक्षकार संबंधित विभाग व ठेकेदारों) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
25. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।
26. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 76 के अनुसार कार्य आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस की अवधि में रूपये 500 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर करार का निष्पादन करना होगा।
27. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति एवं अनबेलेन्स बिड के मामले में नियम–75ए के अनुसार अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी।
28. राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, सकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती हैं तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

निविदादाता का नाम
डाक का पता

टेलीफोन नं. (दुकान) ....(घर)...................................

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is प्रमुख शासन सचिव [illegible] विभाग

The designation and address of the Second Appellate Authority is वित्त विभाग

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

निविदादाता के हस्ताक्षर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

   (i) hear all the parties to appeal present before him; and

   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

निविदादाता के हस्ताक्षर

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

<u>एनेक्सचर–ई</u>

वायरलैस सेटों पर दो वर्ष की अवधि में रेडियो ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की सेवाओं हेतु दर संविदा की निविदा का विवरणः–

क्र.सं.	रेडियो ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने वाले वायरलैस सेट्स का मॉडल	मात्रा
1.	**Modal -XIRP 8608i 800 MHz Digital Handheld radio without keypad and display, Battery, Antenna and Charger**	25 नग
2.	**Modal -XIRP 8668i 800 MHz Digital 05 Handheld radio with keypad and display, Battery, Antenna and Charger**	05 नग

नोटः–

1. उपरोक्त कार्य हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या वृद्धि संभव है।

निविदादाता का नाम..
डाक का पता...
....
टेलीफोन नं. (दुकान) ....(घर) ....
जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

एनेक्सर–एफ

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता का नाम...

पूर्ण पता...

....

टेलीफोन न0 (निवास).......................................

(कार्यालय).......................................

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऍं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
4. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियॉ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लधुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में GST की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।
5. **न्यूनतम दर दाता का निर्धारण एनेक्सर ''एच'' में वर्णित आइटम्स की कुल प्राप्त न्यूनतम दरो के आधार पर किया जावेगा।**
6. **मूल्यांकन में क्रय अधिमानः–** बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
7. विधिमान्यता–निविदाये, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। आपवादिक परिस्थितियों में आपसी सहमति से इस अवधि को बढाया जा सकेगा।
8. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
9. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
10. **<u>विनिर्देश :–</u>** (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुऍं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जारहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

    (ii) वारंटी/गारंटी खण्डः–निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुऍं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ....दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवॅ गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजुत की क्रता ने उक्त माालों/सामानों /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुऍं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
11. **निरीक्षणः–** (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी

    (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
13. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

14. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

15. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–29 एवं 73 के अंतर्गत प्रचलित प्रावधान मान्य होगें ।

16. **<u>बोली प्रतिभूति:–</u>** 1. बोली प्रतिभूति दस हजार रूपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सिमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध मौके पर क्रय एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्वतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं ली जायेगी।

2. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूती बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.50 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है यह बोली के मूल्य का 01.00 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

3. बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों स्वायत निकायों रजिस्ट्रीकृत सोसाटियों सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

4. बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

5. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

6. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ. आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़ें (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी।

7. बोली प्रतिभूति नकद बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति की मूल बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

8. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

9. यह अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

10. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को स्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

11. सफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

12. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपह्रत कर दी जायेगी, अर्थात :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याह्रत या उपन्तरित करता हैः

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के प्श्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता हैः

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

13. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

14. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर

(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर

(ग) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

17. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति.–(1)** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध मे हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन

प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामल में प्रदाय आदेश की रकम की 2.50 प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की 3 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का एक प्रतिशत होगी।

(3) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति एवं 75 ए के अनुसार अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

(4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

(क) ''ई.जी.ए.एस. के माध्यम से जमा

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंक चैक

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समयवे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लिए नियम–42 में वर्णित के समान होंगी।

(ड) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करके के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की और से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्ण संदाय करने का वचन देता है कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(5) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड) के प्ररूप विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव दोष दायित्व   कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पुरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

18. **करार का निष्पादन.**–(1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मालों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधि लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर 500 रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पर कार्य आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस की अवधि में करार का निष्पादन करना होगा।

19. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का कय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

20. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

22. यदि सामान को बाहर ले जाना है, तो उसका खर्चा सफल निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा ।

23. **बीमाः**–(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

24. भुगतान :–

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में,राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर
उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जावेगा, जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परीणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

36. **वसूलियॉ** :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

37. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

38. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

41. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ती करेगा । ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

42. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

43. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

एनेक्सर–एच

नोटः– अलग से लिफाफें में जिस पर वित्तीय निविदा अंकित हो प्रस्तुत किया जावे

वित्तीय निविदा (केवल दरें अंकित की जावें)

वायरलैस सेटों पर दो वर्ष की अवधि में रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की सेवाओं हेतु दर संविदा।

क्र.सं.	रेडियो ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने वाले वायरलैस सेट्स का मॉडल	मात्रा	दर प्रति सेट प्रति माह	जीएसटी	कुल दर प्रति सेट प्रति माह (जीएसटी सहित)
1.	**Modal -XIRP 8608i 800 MHz Digital Handheld radio without keypad and display, Battery, Antenna and Charger**	25 नग			
2.	**Modal -XIRP 8668i 800 MHz Digital 05 Handheld radio with keypad and display, Battery, Antenna and Charger**	05 नग			

1. एल–1 का निर्धारण प्राप्त कुल न्यूनतम दर के आधार पर किया जावेगा।

निविदादाता का नाम..
डाक का पता..
....
टेलीफोन नं. (दुकान) ....
(घर) ....

जयपुर, दिनांक

नोटः– वित्तीय निविदा के इस प्रपत्र को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरा जावे। इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में सील बंद कर उस पर वित्तीय निविदा वायरलैस सेटों पर दो वर्ष के लिए रेडियों ट्रंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दर संविदा करने के लिए निविदा हेतु लिखा जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर